राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या-**6213/2015**

**सुरेन्द्र यादव एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य**

दिनांक:**18.12.2015**

**माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा**

श्री डी के गौड़ अधिवक्ता याचीगण की ओर से
श्री एन एस धाकड़-विद्वान् लोक अभियोजक वास्ते राज्य
श्री धर्मेन्द्र बराला अधिवक्ता अयाची संख्या-2 परिवादी की ओर से
श्री सुभाष चन्द्र सैनी अयाची संख्या-2 परिवादी व्यक्तिश: उपस्थित.

--

पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान् अधिवक्ता याचीगण श्री डी.के.गौड़ ने निवेदन किया कि अब इस मामले में याचीगण व अयाची संख्या-2 के मध्य समझौता हो गया है तथा याचीगण के विरूद्ध धारा- 420,406 व 120-बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के सम्बन्ध में दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-661/2013 पुलिस थाना-चोमू, जिला जयपुर पश्चिम से सम्बन्धित लम्बित आपराधिक प्रकरण संख्या-2171/2015 ( सरकार बनाम भागचन्द वगै.)न्यायालय-अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-22 जयपुर महानगर मुख्यालय चौमू में विचाराधीन है, जिसमें याचीगण के विरूद्ध गिरफ्तारी वारन्ट जारी किये हुए हैं। अत: राजीनामें के आधार पर उक्त आपराधिक प्रकरण को निरस्त किया जावे।

विद्वान् लोक अभियोजक श्री एन.एस.धाकड़ ने निवेदन किया कि आरोपित अपराध काबिले राजीनामा है, अत: विचारण न्यायालय में ही राजीनामा पेश कर तस्दीक करवाया जा सकता है।

उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया ।

प्रकरण के समस्त तथ्यों को देखते हुए याचीगण एवं अयाची संख्या-2 परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 04.01.2016 को न्यायालय-अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-22 जयपुर महानगर मुख्यालय चौमू के समक्ष उपस्थित होकर अपना राजीनामा प्रस्तुत करे। विद्वान् विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि यदि याचीगण व अयाची संख्या-2 परिवादी द्वारा उनके समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जाता है, तो वे उनके द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का सत्यापन कर उस पर उचित आदेश पारित करे। तब तक याचीगण के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारन्ट Abeyance में रहेगा।

तदनुसार याचिका का निस्तारण किया जाता है। उक्त स्थिति में संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र भी एतदनुसार निस्तारित किया जाता है।

**(न्या0 बनवारी लाल शर्मा )**

अनिलशर्मा/-M-43

"all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being e-mailed."अनिलशर्मा/ps